शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (teaching Learning Process)

शिक्षा :-

शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के एज्युकेटम (Educatum) शब्द से मानी गई है।

Educatum दो मूल शब्द E + duco से मिलकर बना है।

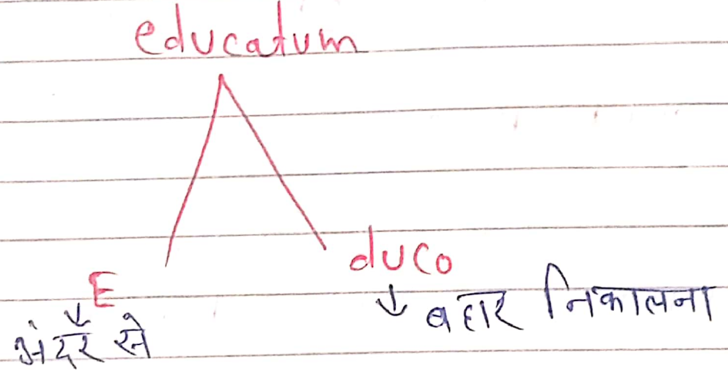

- शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंतर्निहित, दक्षता, प्रतिभा, कुशलता, निपुणता आदि को बाहर निकाला जाता है तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है।
- शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के Educare व Educere से भी मानी जाती है।

शिक्षण (teaching)

- शिक्षण को 2 अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

दो अर्थ

संकुचित — व्यापक

1) संकुचित अर्थ मे शिक्षण औपचारिक शिक्षा हैं अर्थात् एक शिक्षण जो निश्चित स्थान व निश्चित समय पर प्रदान किया जाए तो उसे संकुचित अर्थ में शिक्षण कहा जाता है

EX:- विद्यालयी शिक्षा

1) व्यापक अर्थ में शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। अर्थात् यह जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया हैं।

EX:- 1) विद्यालयी शिक्षा

2) परिवार, समाज आदि से प्राप्त शिक्षा

☆ शिक्षण की परिभाषा :-

पाईन के अनुसार :-

"अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है।

B.O स्मिथ के अनुसार :-

" शिक्षण उद्देश्य केन्द्रित प्रक्रिया है"

Scanned with OKEN Scanner

हाफ एवं डेकन :-

शिक्षण में 4 तत्व निहित हैं।

- → योजना
- → निर्देश
- → मापन
- → मूल्यांकन

मॉरीसन के अनुसार :-

शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति (शिक्षक) व कम परिपक्व व्यक्ति (छात्र) के बीच घनिष्ठ सम्बंध है। जिसके द्वारा अधिक परिपक्व व्यक्ति (शिक्षक) कम परिपक्व व्यक्ति (छात्र) के व्यवहार में परिवर्तन लाता है।

शिक्षण द्विमुखीय प्रक्रिया के रूप में :

एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखीय / द्वि ध्रुवीय (Bipolar) प्रक्रिया के रूप में माना है।

Ex: शिक्षक ⇄ छात्र

शिक्षण त्रिमुखीय प्रक्रिया के रूप में :

जॉन डीवी व रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखीय / त्रि ध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में माना है।

Ex:

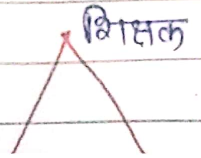

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षण की विशेषताएँ :

1. शिक्षण उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है।
2. शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है।
3. शिक्षण कौशल पूर्ण प्रक्रिया है।
4. शिक्षण कला व विज्ञान दोनों के रूप में होता है।
5. शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
6. शिक्षण अंतःक्रिया का परिणाम है।
7. शिक्षण निदान व उपचार की विधि है।
8. शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है।
9. शिक्षण का कार्य बालक के ज्ञान में वृद्धि करना है।
10. शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है।
11. शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है।
12. शिक्षण वातावरण में समायोजित होने के गुणों का विकास करती है।
13. शिक्षण आमने - सामने की प्रक्रिया है।
14. शिक्षण का मापन व मुल्यांकन किया जा सकता है।

शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक :

1. शिक्षण के उद्देश्य। (ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक)
2. शिक्षण क्रिया का नियोजन।
3. कक्षा में संवेगात्मक स्थिति।
4. संस्था / विद्यालय का वातावरण।
5. शिक्षक का व्यक्तित्व।
6. भौतिक संसाधनों की उपलब्धता।
7. पाठ्यक्रम।

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षण

- **भेद / प्रकार**
  - (1) एकतंत्रात्मक शिक्षण
  - (2) प्रजातंत्रात्मक शिक्षण
  - (3) हस्तक्षेप रहित शिक्षण
- **चर**
  - (1) स्वतंत्र चर
  - (2) आश्रित चर
  - (3) मध्यस्त चर
- **स्तर**
  - (1) स्मृति स्तर
  - (2) बोध स्तर
  - (3) चिंतन स्तर
- **सोपान**
  - (1) निदानात्मक सोपान
  - (2) उपचारात्मक सोपान
  - (3) मुल्यांकनात्मक सोपान
- **अवस्थाएँ**
  - (1) पूर्वक्रिया अवस्था
  - (2) अन्त: क्रिया अवस्था
  - (3) उत्तर क्रिया अवस्था

(I) शिक्षण के भेद / प्रकार :-

(i) एकतंत्रात्मक शिक्षण :-

- यह शिक्षण का वह प्रकार है जिसमें शिक्षक सक्रिय एवं प्रधान भूमिका में होता है।
- छात्र, निष्क्रिय, मूक दर्शक, श्रोता व रहने के रूप में होता है।
- इसमें छात्रों को कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है।
- इसलिए इस शिक्षण को निरंकुशवादी / प्रभुत्ववादी अलोकतांत्रिक शिक्षण भी कहते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

- यह परम्परागत एवं प्राचीन शिक्षण है। जिसे अमनोवैज्ञानिक शिक्षण कहा जाता है।
- इससे बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है।

② प्रजातांत्रिक शिक्षण :

- यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक उपयोगी है।
- इसमें एकतंत्रात्मक शिक्षण के विपरीत विशेषताएँ पाई जाती है।

सक्रिय — शिक्षक / छात्र] ≠ दोनों

- प्रधान ⇒ छात्र
- मार्गदर्शक ⇒ शिक्षक

- इस शिक्षण में छात्रों को प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक शिक्षण कहा जाता है।
- इससे बालक का सर्वांगीण विकास (ज्ञानात्मक, भावात्मक क्रियात्मक) होता है।

③ हस्तक्षेप रहित शिक्षण :

- हस्तक्षेप रहित शिक्षण वह होता है। जिसमें विद्यार्थी

Scanned with OKEN Scanner

प्रधान होता है, तथा वह स्वयं सक्रिय रहता है।

- विद्यार्थी शिक्षक के बिना हस्तक्षेप के स्वाध्याय करते हुए पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं।

Ex:
- → दूरस्थ शिक्षा प्रणाली
- → खुला विद्यालय
- → पत्राचार शिक्षा प्रणाली आदि

शिक्षण के चर :-

(1) स्वतंत्र चर ⇒ शिक्षक

(2) आश्रित चर ⇒ छात्र

(3) मध्यस्थ चर ⇒ पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री

शिक्षण के स्तर :-

(1) स्मृति स्तर :-

प्रवर्तक ⇒ फ्रेडरिक हरबर्ट

- स्मृति स्तर शिक्षण का वह स्तर है जिसमें शिक्षक पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बालकों में स्मरण शक्ति का विकास करता है।

Scanned with OKEN Scanner

- यह स्तर रटने पर बल देता है।
- यह प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है।
- इसे शिक्षण का निम्न स्तर कहा जाता है। इसमें बालक किसी भी विषयवस्तु को यांत्रिक तरीके से चेतन मन में स्थापित कर लेते हैं।

- आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यास्मरण कर लेता है।

② बोध स्तर :-

प्रवर्तक ≠ मोरीसन

- बोध स्तर शिक्षण का वह स्तर है जिसमें शिक्षक छात्रों को पाठ्यपुस्तक के बारे में समझ विकसित करता है। और समस्या के कारणों का पता लगाता है।
- यह माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है।
- माध्यमिक स्तर के बालकों को किसी भी विषय वस्तु को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

③ चिंतन स्तर :-

प्रवर्तक ≠ हण्ट

- चिंतन स्तर शिक्षण का अंतिम सर्वोच्च स्तर है, इसमें शिक्षक छात्रों में अमूर्त तार्किक गुणों का विकास करता है।

- छात्र स्वयं समस्या का समाधान करना सीखता है।
- खोजी प्रवृत्ति व कल्पना शक्ति का विकास करता है।
- यह शिक्षण उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है।

शिक्षण के सोपान :-

(i) निदानात्मक सोपान :-

यह शिक्षण का निम्न स्तरीय सोपान है। जिसे प्रथम सोपान भी कहा जाता है।

- शिक्षक छात्रों के पूर्वज्ञान का पता लगाता है
- इसमें शिक्षक छात्रों के अधिगम न होने के कारणों का अथवा समस्या के कारणों का पता लगाता है।

(2) उपचारात्मक सोपान :-

- यह शिक्षण का मध्य सोपान है जिसे शिक्षक शिक्षण क्रिया के दौरान शिक्षण में उपयोगी बनाता है। और समस्या का समाधान करता है।
- उपचारात्मक शिक्षण प्रमुख रूप से समस्यात्मक व पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है।

Scanned with OKEN Scanner

③ मूल्यांकनात्मक सोपान :- यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तरीय सोपान है। इसे शिक्षण प्रक्रिया के अंत में उपयोगी बनाया जाता है।

- इसके माध्यम से सम्पूर्ण शैक्षिक स्तर में छात्रों को प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है।

- मूल्यांकन में निदानात्मक परिक्षण व उपचारात्मक शिक्षण सामिल होता है।

④ शिक्षण की अवस्थाएँ (Stages of teaching)

(i) पूर्व क्रिया अवस्था :-

- शिक्षण से पहले की अवस्था
- शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण,
- पाठ्यवस्तु का चयन
- शिक्षण विधि का चयन
- शिक्षण व्यूह रचना का निर्माण आदि

(ii) अन्तः क्रिया अवस्था :-

- इसमें शिक्षक व छात्र दोनों के बीच अंतक्रिया होती है।
- शिक्षण क्रिया
- शिक्षण विधियों का विस्तार

③ उत्तर क्रिया अवस्था :-

- यह शिक्षण के बाद की अवस्था है।
- शिक्षण का मूल्यांकन व मूल्यांकन के बाद शिक्षण नीतियों में परिवर्तन

शिक्षण सूत्र (maxims of teaching) :-

- शिक्षण सूत्रों का सूत्रपात रूसो व कोमेनियस के द्वारा किया गया।
- रूसो व कोमेनियस के अमूर्त विचारों से प्रभावित शिक्षण में पैस्टोलोजी, जोन डीवी, किलपैट्रिक, हरबर्ट, B.S Bloom के द्वारा शिक्षण सूत्रों को उपयोगी माना।
- शिक्षण सूत्र वे हैं जिनका प्रयोग शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कक्षा कक्ष में सम्बंधित पाठ्यपुस्तक को सरल व स्पष्ट व प्रभावी बना देता है।

① ज्ञात से अज्ञात की ओर / पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर

(From known to unknown.)

② सरल से जटिल की ओर

(from simple to complex.)

Scanned with OKEN Scanner

③ मूर्त से अमूर्त की ओर / स्थूल से सूक्ष्म की ओर
(from Concrete to Abstract.)

④ पूर्ण से अंश की ओर (From whole to Part)

⑤ विशिष्ट से सामान्य की ओर (from Specific to General)
(उदाहरणों) (नियमों)

⑥ मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर (from Psychological to logical).

⑦ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर (from Analysis to synthesis)

⑧ आगमन (उदाहरण) से निगमन (नियम) की ओर (from Inductive to Deductive)

⑨ अनुभव से विवेक की ओर (Experience to wisdom

⑩ अनिश्चित से निश्चित की ओर (Indefinit of definite

शिक्षण के सिद्धांत (Principles of teaching):-

① जीवन से सम्बंध स्थापित करने का सिद्धांत।
② उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत।
③ नियोजन का सिद्धांत।
④ रुचि का सिद्धांत।

Scanned with OKEN Scanner

5. वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत।
6. अभ्यास का सिद्धांत।
7. उपयोगिता का सिद्धांत।
8. अभिप्रेरणा का सिद्धांत।
9. क्रियाशीलता का सिद्धांत।
10. क्रमबद्धता का सिद्धांत।
11. छात्र / बालकेन्द्रित शिक्षा का सिद्धांत।
12. चयन का सिद्धांत।

☆ अच्छे शिक्षक के गुण :-

1. शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ।
2. मधुर स्वभाव।
3. निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार।
4. उत्साही।
5. विषय का ज्ञाता।
6. आलोचनात्मक दृष्टिकोण।
7. बाल विकास का ज्ञान।
8. अभिप्रेरणा युक्त व्यवहार।
9. नेतृत्व का गुण।
10. सामाजिकता के गुण।
11. चारित्रिक रूप से सुदृढ़।
12. परिश्रमी।
13. सक्रिय शिक्षण।
14. बाल केन्द्रित शिक्षा पर बल।

Scanned with OKEN Scanner

NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005

National Curriculum framework.

पाठ्यचर्या अंग्रेजी के curriculum शब्द का हिंदी रूपान्तरण है। curriculum की उत्पत्ति लैटिन भाषा के Currere से मानी जाती है।

जिसका अर्थ होता है Race course दौड़ का मैदान

- इस प्रकार curriculum वह दौड़ का मैदान है। जिसमें बालक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है।

- पाठ्यचर्या वह रास्ता है जिस पर चलकर छात्र शिक्षा के लक्ष्य तक पहुँचता है।

कनिंघम के अनुसार :-

पाठ्यचर्या शिक्षक रूपी कलाकार के हाथ में यह एक साधन है। जिससे वह पदार्थ को (छात्र) को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो (विद्यालय) में चित्रित कर सके।

मुनरो के अनुसार :-

पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

NCF 2005

- NCF 2005 4th नम्बर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है।

Ist ≠ 1975
IInd ≠ 1988
IIIrd ≠ 2000
4th ≠ 2005
5th ≠ 2022

- NCF 2005 यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में तैयार किया गया।

- 1983 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश की।

- NCF 2005 में सचिव स्वेता उप्पल व M.A खादर थे।

- NCF 2005 में भाषागत असुविधाओं को दूर करने का कार्य नामवर सिंह ने किया।

- NCF 2005 के निर्माण की स्वीकृति (CABE (central Advisory Board of education) द्वारा दी गई।

- NCF 2005 का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council of educational Research and training) द्वारा किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

D NCF 2005 की समय-समय पर समीक्षा (जाँच) NCERT द्वारा कि जाती है।

D NCF 2005 का आधार (National Policy on Education) NPE 1986 व PoA को माना जाता है। (Programme of Action 1992)

✩ NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत:—

① पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना।
② ज्ञान को विद्यालय के बहारी जीवन से जोड़ना।
③ पाठ्यचर्या इस तरह की हो कि वह बालकों को चहुंमुखी विकास के अवसर प्रदान करे न कि पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बनकर रह जाये।

④ परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा-कक्ष गतिविधियों से जोड़ा जाए।

⑤ बच्चों में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता शामिल हो।

⑥

✩ NCF 2005 के अध्याय:

इसमें 5 अध्याय शामिल किए गए हैं-

① परिप्रेक्ष्य / परिचय ।
② सीखना और ज्ञान ।
③ पाठ्यचर्या का क्षेत्र , स्कूल की व्यवस्था व आकलन
④ विद्यालय व कक्षा का वातावरण ।
⑤ व्यवस्थागत सुधार ।

(i) परिप्रेक्ष्य / परिचय :

- पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके।
- पढ़ाई को रटने की प्रवृत्ति से मुक्त करके स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए ।
- शिक्षा को बोझ न समझा जाये अतः समझ के आधार पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाए ।
- ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण किया जाए जो राजनैतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता रखते हो ।
- ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय के प्रति अनुसूचित जातियों व जनजातियों व विशेष आवश्यक वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हों ।

② सीखना और ज्ञान :

- बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु उनके ज्ञान में वृद्धि कि जाएगी ।

Scanned with OKEN Scanner

⑧ पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन :-

- प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में बहुभाषिकता के बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है।

  - राष्ट्रीय भाषा → हिंदी
  - अंतर्राष्ट्रीय भाषा → अंग्रेजी
  - मातृभाषा → राजस्थानी, गुजराती, तेलगु......

- गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क करने, सोचने समझ विकसित करने, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होना चाहिए। गणित की बहतर शिक्षा का हर बालक को हक है।

- सामा० विज्ञान के अंतर्गत ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके।

⑨ विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण :-

- कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः किसी भी अवस्था में शिक्षक व शिक्षार्थियों का अनुपात 1 : 30 से अधिक होना वांछित नहीं है।

⑥ व्यवस्थागत सुधार :-

- अध्यापकों व शिक्षकों के सहयोग से सार्थक आकादमिक योजना का विकास हो।

- पाठ्यचर्या ऐसी निर्मित की जानी चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते तथा काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकें।

⑦ NCF 2005 के अंतर्गत विषय संबंधी सुझाव :-

- NCF 2005 के अंतर्गत 4 मुख्य विषय व चार अन्य विषयों को जोड़ा गया है।

- **मुख्य विषय :-**
  - ① भाषा :- त्रिभाषा सूत्र
    - ① राष्ट्रीय भा…
    - ② हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा (अंग्रे…)
    - ③ मातृभाषा (गुजराती, संस्कृत, तेलगु आ…)
  - ② गणित
  - ③ विज्ञान
  - ④ सामाजिक विज्ञान

अन्य विषय :-
- ① रोजगार या कार्य
- ② कला या हस्तकारियाँ
- ③ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा
- ④ …

✪ NCF 2005 की आवश्यकता :-

(i) नैतिक व मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने हेतु।
(2) कक्षा - कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु।
(3) विद्यार्थियों की जरूरतों व रुचियों को ध्यान में रखते हुये पाठ्यक्रम निर्माण हेतु।
(4) शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु।
(5) भाषा समस्या के निदान हेतु
(6) पाठ्यक्रम के नवीन तथ्यों एवं शोध कार्यों के निष्कर्षों को सामिल करने हेतु।

✪ N.C.F 2005 के अनुसार कुल गृह कार्य समय :-

(i) कक्षा 1 व 2 ⇒ कोई गृह कार्य नही।
(2) कक्षा 3 से 5 ⇒ 2 घंटे प्रति सप्ताह
(3) कक्षा 6 से 8 ⇒ 1 घंटा प्रतिदिन (इसे 6 घंटा प्रति सप्ताह)
(4) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ⇒ 2 घंटा प्रतिदिन (10 से 12 घंटा प्रतिसप्ताह

✪ N.C.F 2005 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें :-

1) N.C.F 2005 का निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के अनुसार किया गया है

- N.C.F 2005 का निर्माण करने हेतु यशपाल शर्मा के नेतृत्व में एक संचालन समिति का गठन किया गया।
- जिसमें कुल 38 सदस्य थे।
- 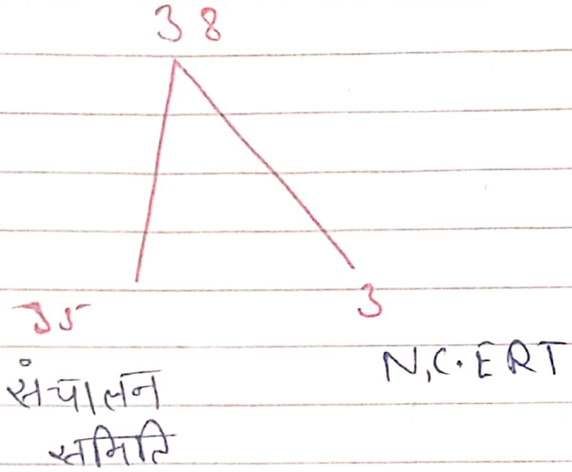

- 35 सदस्यों में से राजस्थान से एकमात्र सदस्य रोहित धनकड़ हैं।
- N.C.F 2005 की रूपरेखा हेतु 21 फोकस समूहों का गठन किया गया।
- N.C.F 2005 में 2 शिक्षण सूत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - (i) ज्ञात से अज्ञात की ओर
  - (ii) मूर्त से अमूर्त की ओर.
- N.C.F 2005 एक सामाजिक, सरल व सक्रिय प्रक्रिया है, जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाएगा।

- N.C.F 2005 को २२ भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

- N.C.F 2005 निर्मितवादी / संरचनावादी अधिगम पर बल देता है जिसके द्वारा छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं।

- N.C.F 2005 का उद्देश्य प्रारंभिक पीढ़ि को बिना भेदभाव के समावेशी शिक्षा उपलब्ध करायी जाए-

- N.C.F 2005 के अनुसार विद्यालय के कैलेण्डर व समय विभाग चक्र को लचिला बनाया जाए

- N.C.F 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों में तार्किक चिंतन व समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है।

- N.C.F 2005 में सुझाव दिया गया है कि 10 वीं बोर्ड परिक्षा ऐच्छिक हो।

- N.C.F 2005 ने कम्प्युटर व पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना उद्देश्य रखा है।

Scanned with OKEN Scanner

☆ क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research)

- क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अपनी तथा विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके अपनी क्रियाओं व विद्यालय की गतिविधियों में सुधार है।

- अनुसंधानकर्ता अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, व निरीक्षक हो सकता है।

स्टीफन. एम. कोरे :-

क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि व अपने कार्यों में सुधार कर सकें।

☆ क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास :-

अमेरिका को क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है।

- शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सन 1926 से माना जाता है।

- बकिंघम ने अपनी पुस्तक Reasearch for teacher के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया।

Scanned with OKEN Scanner

- जॉन कोलियर ने सर्वप्रथम 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सैन्य क्षेत्र में किया।

- कुर्तलेविन ने सन् 1948 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग मानव संबंधों को अच्छा बनाने के लिए सामा० क्षेत्र में किया।

- शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी रूप से क्रियात्मक अनुसंधान को लागू करने का श्रेय सन् 1953 में अमेरिका के कोलम्बिया वि० विद्यालय के प्रो० स्टीफन.एम.कोरे को जाता है।

- शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन.एम. कोरे है।

- स्टीफन.एम.कोरे की पुस्तक का नाम "विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान" है।

- स्टीफन एम कोरे ने अपनी Action Reasearch के अंतर्गत अनुसंधान के दो प्रकार बताये।

1. मौलिक अनुसंधान
2. क्रियात्मक अनुसंधान

क्रियात्मक अनुसंधान के पद / चरण / सोपान :

(i) समस्या का ज्ञान।

② कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श।
③ योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण।
④ तथ्य संग्रह की विधियों का निर्माण।
⑤ योजना का कार्यान्वय व प्रमाणों का संकलन।
⑥ तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष।
⑦ दूसरों को परिणामों की सूचना।

☆ क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएँ :-

(1) क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता शिक्षक प्रधानाध्यापक, प्रबंधक व निरीक्षक होते हैं।

(2) क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय से संबंधित विभिन्न दैनिक समस्याओं का व्यावहारिक व तथ्यपूर्ण समाधान करता है।

(3) क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान सम्पूर्ण परिस्थिति पर होता है न कि उसके किसी विशेष अंग पर केन्द्रित होता है।

(4) क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान केवल एक परिस्थिति पर होता है न कि अनेक परिस्थितियों पर।

(5) क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति प्रारम्भ से अंतिम समय तक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य :-

(i) विद्यालय के कार्यकर्ताओं - शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक व निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।

(2) विद्यालय के परम्परागत रूढ़िवादी तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त कर सुधार करना।

(3) विद्यालय के संगठन तथा व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार लाना

(4) विद्यालय की कार्यपद्धति में प्रजातांत्रिक मूल्यों को अधिक स्थान देना।

(5) विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में योगदान देना।

(6) विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देना।

(7) स्कूल के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों आदि को उनके दोष की जानकारी देकर उनकी उन्नति करना।

(8) विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उसको स्थानीय समस्या के अनुकूल बनाना।

(9) कक्षागत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता शिक्षक व छात्रों में विकसित करना।

Scanned with OKEN Scanner

क्रियात्मक अनुसंधान की सीमायें :-

(1) वैज्ञानिकता का अभाव ।
(2) प्रत्येक परिस्थिति पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं
(3) पूर्ण शुद्धता का अभाव ।
(4) सामान्यीकरण का अभाव ।
(5) अधिक लचीलापन होने के कारण अनुसंधान की दिशा परिवर्तित ।
(6) प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है।
(7). अनुसंधानकर्ता को विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण उपयुक्त शोध विधि के चयन एवं संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है

क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सुझाव :-

(i) समस्या का स्वरूप वास्तविक होना चाहिए
(2) अनुसंधानकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष सम्बंध होना चाहिए -

(3) क्रियात्मक अनुसंधान के क्रियान्वयन से विद्यालय के अन्य कार्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए -

(4) क्रियात्मक अनुसंधान का प्रत्यक्ष सम्बंध शिक्षण के स्तर की प्रगति और गुणात्मक विकास से होना चाहिए -

(5.) अनुसंधान की परिस्थितियों पर अनुसंधान कर्ता का नियंत्रण होना चाहिए -

Scanned with OKEN Scanner

⑥ अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करते समय अनुभवी अध्यापकों तथा कुछ अनुसंधान विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए-

⑦ अनुसंधान करते समय वैध व विश्वसनीय सूत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए-

✡ आकलन

- सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह मूल्यांकन का ही भाग है।

आकलन का महत्व :-

1. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना।
2. शिक्षण छात्र अपना मूल्यांकन कर सकते हैं।
3. छात्र प्रगति जानने में।
4. प्रतिपोषण देने के लिए।
5.

आकलन के प्रकार :-

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के अंतर्गत

Scanned with OKEN Scanner

दो प्रकार हैं।

(i) संरचनात्मक / रूपात्मक / निर्माणात्मक आकलन):-
(Formative assessment - F.A)

इस प्रकार का आकलन शैक्षिक कार्य के मध्य में समय-२ पर किया जाता है।

- इस आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है। अर्थात् इसकी प्रकृति सुधारात्मक है।

- संरचनात्मक आकलन शिक्षक व छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि (Feedback) प्रदान करता है।

- इसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है।

- संरचनात्मक आकलन को अनौपचारिक परीक्षणों मौखिक परीक्षणों आदि के माध्यम से किया जाता है।

- संरचनात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है।

- संरचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जाँच करता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है।

EX:- मौखिक प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, अवलोकन डायरी, चेकलिस्ट आदि।

Scanned with OKEN Scanner

③ योगात्मक / समेकित आकलन (Summative Assessment)
↳ S. A

- योगात्मक आकलन शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद किया जाता है।

- इस आकलन का उद्देश्य छात्रों को उपलब्धि (अंक / ग्रेड) प्रदान करना है।

- इसकी प्रकृति निर्णायिक होती है।
- योगात्मक आकलन की प्रकृति दीर्घकालीन होती है।

- योगात्मक आकलन सीखने का आकलन है।

- योगात्मक आकलन के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्य में कितने सफल रहे।

EX:
- → अर्द्ध वार्षिक (मध्यावधि परिक्षा)
- → वार्षिक परीक्षा
- → प्रोजेक्ट सेमेस्टर एग्जाम
- → प्रेजेन्टेशन आदि

⑥ आकलन के प्रतिमान :-

(i) सीखने के लिए आकलन :- यह रचनात्मक (Assessment for learning) आकलन के समान है (F. A)

(1) सीखने का आकलन :- यह योगात्मक आकलन के
(Assessment of learning) समान है (S.A)

(3) सीखने के साथ आकलन / सीखने के रूप में आकलन :-

- सीखने के साथ आकलन छात्रों के द्वारा स्वयं सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसमें छात्र स्वयं अपना आकलन करता है।

☆ मापन (Measurement)

- सामान्य अर्थ में अंक प्रदान करना ही मापन है।
- जब किसी व्यक्ति या भौतिक पदार्थ की योग्यता और विशेषताओं की मात्रा को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वह मापन कहलाता है।

स्टीवेन्स :- मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है।

केम्पबेल :- नियमों के अनुसार वस्तुओं व घटनाओं को अंकों व संख्याओं के रूप में व्यक्त करना मापन कहलाता है।

Scanned with OKEN Scanner

मापन के स्तर

① नामित स्तर (Nominal Scale)	② क्रमिक मापन (Ordinal) Scale	③ अंतराल मापन (Interval Scale)	④ अनुपात स्तर (Ratio Scale)

① नामित स्तर :- ① नाम देना

Group A, Group B, Grou C.

② यह सबसे निम्न स्तर का है।

② क्रमिक मापन :- ① किसी क्रम को रैंक देना ।

EX:- Ist Rank, IInd Rank.

③ अंतराल मापन :- अंतर निकालना

EX:- A B

8 - 6

②

◦ इसका मान कभी भी 0 नहीं होता है।

④ अनुपात मापन :- ◦ यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार है इसका निरपेक्ष मान 0 होता है।

◦ इसका मनोविज्ञान में उपयोग नहीं होता है।

Scanned with OKEN Scanner

मापन की विशेषताएँ :-

1. मापन एक साधन है।
2. मापन मूल्यांकन करने में सहायक है।
3. मापन मूल्यांकन का भाग है।
4. मापन संकुचित प्रक्रिया है।
5. मापन के द्वारा एक निश्चित अंक की प्राप्ति की जा सकती है।
6. मापन शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष की जाँच करता है।
7. मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है।
8. किसी भी व्यक्ति का मापन सीधे न होकर, किसी उपयुक्त माध्यम से होता है।

मूल्यांकन (Evaluation)

- मूल्यांकन अंग्रेजी के शब्द Evaluation का हिंदी रूपांतरण है इसका अर्थ होता है। किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना

- सीखने के अनुभवों से बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ उसका निष्कर्ष निकालना / निर्णय लेना अथवा परीक्षण करना मूल्यांकन कहलाता है।

- मूल्यांकन में ज्ञानात्मक के साथ-2 भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष की भी जाँच की जाती है।

- अतः यह बहुपक्षीय होता है।

Scanned with OKEN Scanner

मूल्यांकन = मूल्य + अंकन

मूल्यांकन = मापन + मूल्य निर्धारण

= संख्यात्मक + गुणात्मक

☆ मूल्यांकन की विशेषताएँ :-

1. मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है।
2. मूल्यांकन सतत् प्रक्रिया है।
3. मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है।
4. मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है।
5. मूल्यांकन का सम्बंध शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनो की गतिविधियों है।
6. मूल्यांकन का शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ सम्बंध है।
7. मूल्यांकन का बालक के विकास से सम्बंध है।
8. मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

☆ B.S Bloom की मूल्यांकन विचारधारा :-

1) B.S Bloom ने मूल्यांकन की विचारधारा में मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया है,

⇒ ① ज्ञानात्मक उद्देश्य
⇒ ② भावात्मक उद्देश्य
⇒ ③ क्रियात्मक उद्देश्य

D B.S Bloom के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 ध्रुव

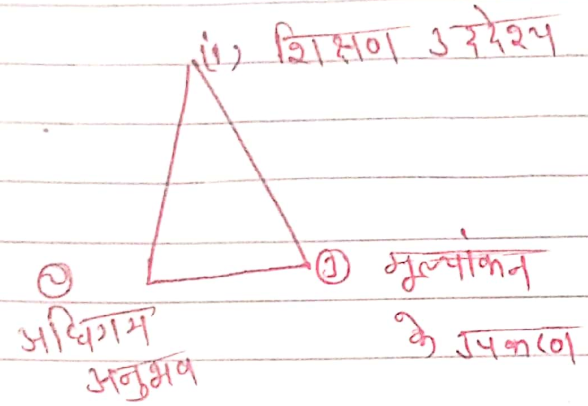

✪ मूल्यांकन के प्रकार

(1) निदानात्मक मूल्यांकन
↓
समस्या के कारण का पता लगाया जाता है।

(2) रचनात्मक / निर्माणात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन (F.A)
↓
F.A के समान

(3) योगात्मक मूल्यांकन (S.A)
↓
S.A के समान

✪ अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएँ :

1. वैधता :- एक ऐसा मूल्यांकन जो उद्देश्यों के अनुरूप हो या गुण व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो।

② विश्वसनीयता :-

ऐसा परीक्षण जिसकी कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में कितनी भी बार जाँच हो अथवा एक से अधिक अध्यापकों द्वारा जाँच करायी जाए अथवा उन्हीं बालकों पर परीक्षण किया जाये अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए-

③ वस्तुनिष्ठता (objectivity):-

अध्यापकों के व्यवहार का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव न हो अथवा अंक प्रदान करते समय अध्यापक के व्यक्तित्व का कोई प्रभाव न हो।

④ विभेदीकरण :-

मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो बालकों के अनुरूप हो, अर्थात- वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए-

⑤ व्यापकता (समग्रता) (Holism) :-

मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसमें सम्पूर्ण में से प्रश्न हों, अर्थात- मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करे।

⑥ मितव्ययता :-

समय, धन व श्रम की बचत करने वाला।

Scanned with OKEN Scanner

(7) स्पष्टता (Clarity):-

मूल्यांकन पत्र के दिशा निर्देश सरल व स्पष्ट व समझने योग्य होने चाहिए। जिससे बालक दिशा निर्देशों को समझकर मूल्यांकन पत्र के अनुसार व्यवहार कर सके।

(8) क्रमबद्धता (Serialization):-

मूल्यांकन पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रमबद्धता अर्थात् तारतम्यता का गुण हो।

(9) निश्चित मापक (Fixed Scale):-

मूल्यांकन पत्र ऐसा होना चाहिए जिसका एक निश्चित मापक हो

उचित व निश्चित मापक से मूल्यांकन की आसानी से जाँच की जा सकती है।

(10) मानकीकृत (Standardized):-

मूल्यांकन पत्र में वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए। तथा मूल्यांकन पत्र निश्चित नियमों व सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए-

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन:

Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE)

Scanned with OKEN Scanner

D सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन के शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया जाता है।

D सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षा की सम्पूर्ण अवधि तक चलती है।

D व्यापक (समग्र) का अर्थ होता है शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों पक्ष

शैक्षिक → पाठ्यक्रम

सहशैक्षिक → जीवन कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य

D सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मे छात्र की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। तथा कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचार की व्यवस्था की जाती है।

D सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) में अंक के स्थान पर ग्रेड दिये जाते हैं।

D राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) के अंतर्गत CCE को लागू करने पर बल दिया गया। तथा NCF 2005 के अन्तर्गत इसे लागू किया गया।

D RTE Act 2009 की धारा 29(1) में CCE को लागू करने की बात कही है।

Scanned with OKEN Scanner

- सर्वप्रथम गीता मुक्कल समिति ने २००९ में CCE को कक्षा ९ मे २०१०-११ में कक्षा 10 में CCE को अपनाने पर बल दिया है।

- केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने २०१०-११ से कक्षा ९ व 10 मे CCE को लागू कर दिया है।

- सम्पूर्ण देश मे CCE 1 अप्रेल २०१० से लागू होगया

- राज० में सर्वप्रथम अलवर, जयपुर के 60 विद्यालयों मे CCE को २०१०-११ मे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिया गया।

- सन् २०१5-16 में CCE को सम्पूर्ण राज० मे लागू कर दिया गया।

- राज० मे CCE से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना उदयपुर मे की गई है।

- राज० मे CCE को SIQE (State Initiative for Quality Education) के नाम से जाना जाता है

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की परिभाषाएँ :-

1. (FA) रचनात्मक मूल्यांकन / निर्माणात्मक मूल्यांकन / प्रारम्भिक परीक्षण (Formative Assessment):-

- यह शैक्षिक सत्र में 4 बार आयोजित होता है यह

Scanned with OKEN Scanner

कुल ग्रेडांस का 40% होता है।

- यह विद्यालय स्तर पर आयोजित होता है।

② योगात्मक मूल्यांकन (Summative Assessment) :- (S.A)

- यह वर्ष में २ बार आयोजित होता है।
- २ रचनात्मक के बाद 1 योगात्मक परीक्षण होता है।
- यह कुल ग्रेडांस का 60% होता है।
- यह विद्यालय स्तर पर आयोजित होता है लेकिन प्रश्न बनाने का कार्य उत्तर पत्रों की जाँच का कार्य और मूल्यांकन केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के द्वारा किया जाता है।

C.C.E का पैटर्न

पाठ्यक्रम का 50%	पाठ्यक्रम का 50%
FA – I (10%)	FA – III (10%)
FA – II (10%)	FA – IV (10%)
SA – I (30%)	SA – II (30%)

वर्ष में 4 रचनात्मक मूल्यांकन (FA) व २ योगात्मक मूल्यांकन (S.A) होते हैं।

FA – रचनात्मक मूल्यांकन (40%)

SA – योगात्मक मूल्यांकन (60%)

Scanned with OKEN Scanner

Note :-

वर्तमान में राज० में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक सतत एवं समग्र मूल्यांकन में वर्ष में 3 योगात्मक मूल्यांकन (S.A) का प्रावधान है।

- राज० में CCE को SIQE के नाम से जाना जाता

C.C.E में Grading System :-

अंक		ग्रेड
91 - 100	⟹	A1
81 - 90	⟹	A2
71 - 80	⟹	B1
61 - 70	⟹	B2
51 - 60	⟹	C1
41 - 50	⟹	C2
33 - 40	⟹	D
21 - 32	⟹	E1
20 से नीचे	⟹	E2

S.I.Q.E :-

- योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन कहा जाता है।

- राज० में 2018-19 से कक्षा 1 से 5 तक CCE के अंतर्गत 3 योगात्मक मूल्यांकन (S.A) आयोजित किये गये हैं।

Scanned with OKEN Scanner

TERM	पाठ्यक्रम विभाजन
प्रथम ⟹	45% (SA Ist)
द्वितीय ⟹	40% (SA IInd)
तृतीय ⟹	15% (SA IIIrd)

मूल्यांकन की तकनीकें :-

(i) **परीक्षण (test) :-** बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की समयबद्ध जाँच को परीक्षण कहा जाता है।

- परीक्षण को 3 आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है।

परीक्षण
- 1. संरचना / निर्माण के आधार पर
  - (i) प्रमापीकृत परीक्षण
  - (ii) अप्रमापीकृत परीक्षण / अध्यापक निर्मित परीक्षण
- 2. प्रकृति के आधार पर
- 3. व्यवहार के आधार पर

(i) **प्रमापीकृत परीक्षण :-** वे परीक्षण जिनका निर्माण किया

एजेन्सी या संस्था के द्वारा किया जाता है। (RPSC, RSSB, UPSC, SSB)

- ये परीक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं।
- इन परीक्षणों में वैधता व विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है।
- ये परीक्षण प्रभाव के आधार पर निर्मित होते हैं। अतः इनके अच्छे परीक्षण प्राप्त होते हैं।

(B) अप्रमापीकृत परीक्षण / अध्यापक निर्मित परीक्षण :-

- ये परीक्षण अध्यापक द्वारा निर्मित होते हैं।
- अतः इन परीक्षणों में वैधता / विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठता के लक्षण कम पाये जाते हैं।

२. प्रकृति के आधार पर परीक्षण

(A) मात्रात्मक / परिमाणात्मक संख्यात्मक / उपलब्धि परीक्षण / निष्पत्ति परीक्षण

(B) गुणात्मक परीक्षण
(1) क्रम निर्धारण मापनी
(2) प्रश्नावली
(3) साक्षात्कार
(4) अवलोकन
(5) जाँच सूची
(6) संचयी अभिलेख

Scanned with OKEN Scanner

3. व्यवहार के आधार पर परीक्षण :-

(A) ज्ञानात्मक परीक्षण
(i) लिखित परीक्षण
(2) मौखिक परीक्षण
(3) साक्षात्कार

(B) भावात्मक परीक्षण
(1) रुचि परीक्षण
(ii) अभिरुचि परीक्षण
(3) अभिवृत्ति परीक्षण
(4) समायोजन परीक्षण
(5) समाजमिति परीक्षण

(C) क्रियात्मक परीक्षण
प्रायोगिक परीक्षण

2. (A) मात्रात्मक / परिमाणात्मक / निष्पत्ति / उपलब्धि परीक्षण :-

Achievement test

- छात्र को विशिष्ट प्रशिक्षण व अनुदेशन दिये जाने के बाद वह कितना सीख पाया यह मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है।
- उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में बालकों की प्रगति का मापन किया जाता है।
- यह बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से सम्बंधित है।

Scanned with OKEN Scanner

1) इस परीक्षण के माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।

☆ उपलब्धि परीक्षण :-

- (i) लिखित परीक्षण
  - (i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न
  - (2) अति लघुत्तरात्मक प्रश्न
  - (3) लघुत्तरात्मक प्रश्न
  - (4) निबंधात्मक प्रश्न
- (2) मौखिक परीक्षण
- (3) प्रायोगिक परीक्षण

☆ वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

- (i) प्रत्यास्मरण प्रश्न
  - (a) साधारण प्रत्यास्मरण
  - (b) रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न
- (2) प्रत्याभिज्ञान प्रश्न
  - (i) एकान्तर प्रश्न / सत्य असत्य वाले प्रश्न
  - (ii) बहु विकल्पी प्रश्न
  - (iii) मिलान वाले प्रश्न
  - (4) भिन्नता वाले प्रश्न
  - (5) सादृश्यता वाले प्रश्न

Scanned with OKEN Scanner

(ii) वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

- ऐसे प्रश्न जिनमे उत्तर अत्यन्त सीमित व विकल्प प्रदान करने वाले होते है। इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर होता है।

- इनमें मूल्यांकन अध्यापक की व्यक्तिनिष्ठता से प्रभावित नहीं होता है। ये निष्पक्ष होते हैं।

(i) प्रत्यास्मरण प्रश्न :- इन प्रश्नों का उत्तर बालक की स्मृति पर आधारित होता है। इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर होता है।

- ये रिक्त स्थान के रूप में भी हो सकते हैं।

- प्रत्यास्मरण प्रश्न दो (२) प्रकार के हो सकते हैं।

(A) साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न ⇒ इन प्रश्नों का विशिष्ट व निश्चित उत्तर होता है।

EX: 1. भारत देश कब स्वतंत्र हुआ ÷ 15 Aug 1947

2. चिह्न पूर्णाकार का सिद्धांत किसने दिया ÷ एडवर्ड टोलमैन

(b) रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न ⇒ इन प्रश्नों मे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती हैं।

EX: रेडियो का आविष्कार ..मारकोनी.. किया

(v) प्रत्याभिज्ञान प्रश्न :-

- इन प्रश्नों में प्रश्नों के साथ एक से अधिक संभावित उत्तर दिये जाते हैं।
- बालक इन सभी संभावित उत्तरों में से सही उत्तर की जाँच करता है।

प्रत्याभिज्ञान वाले प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं।

(A) एकान्तर प्रश्न / सत्य - असत्य वाले प्रश्न :-

Ex:- सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है।
(सत्य / असत्य)

(b) बहुविकल्पी प्रश्न :-

प्रश्न :- ① उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है।
(A) स्कीनर
(b) थॉर्नडाइक
(c) पावलव
(d) टॉलमैन

(c) मिलान वाले प्रश्न :-

इसमें प्रथम स्तम्भ को द्वितीय स्तम्भ से मिलान किया जाता है।

(d) भिन्नता / वर्गीकरण वाले प्रश्न :-

- इसमें असंगत प्रश्नों को ढूँढना पड़ता है।

(A) जयपुर (b) पटना (c) अजमेर (d) कोलकाता

(E) सादृश्यता वाले प्रश्न :-

- ऐसे प्रश्नों में 2 समान परिस्थितियाँ दी जाती है।
- पहली स्थिति पूर्ण व दूसरी परिस्थिति अपूर्ण होती है।
- पहली परिस्थिति के आधार पर सम्बंध स्थापित करके दूसरी परिस्थिति को पूरा किया जाता है।

EX :- मछली : गिल : मनुष्य ?...

☆ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण :-

(1) इन प्रश्नों का उत्तर देने मे समय कम लगता है.
(2) प्रश्नों का अंकन करने में भी समय कम लगता है।
(3) वस्तुनिष्ठता का समावेश पाया जाता है।
(4) ये प्रश्न उद्देश्य आधारित होते हैं।
(5) रटने की प्रवृत्ति को कम करते हैं।
(6) इनमें विश्वसनीयता या व्यापकता पाई जाती है।

☆ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दोष :-

(1) प्रश्न पत्र बनाने मे कठिनाई आती है।
(2) कुशल व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव पाया जाता है.
(3) लेखन व भाषा शैली की जाँच नहीं होती है,
(4) सृजनात्मक चिंतन शैली का पता लगाना कठिन है
(5) कुछ प्रश्न अनुमान के आधार पर सही हो जाते है.

Scanned with OKEN Scanner

निबंधात्मक प्रश्न :-

1) वे प्रश्न जिनका उत्तर छात्र के द्वारा अपने शब्दों में दिया जाता है, उन्हें निबंधात्मक प्रश्न कहा जाता है। अर्थात् इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देना होता है।

⇒ निबंधात्मक प्रश्नों के गुण :-

(1) इनका निर्माण करना सरल है। जिससे समय व श्रम की बचत होती है।

(2) मौलिकता, रचनात्मकता, व विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव है।

(3) लेखन कौशल : भाषा की शैली, आदि का परीक्षण सम्भव है।

(4) निबंधात्मक प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन पर बल देते हैं

⇒ दोष :-

- (1) रटने की प्रवृत्ति पर बल
- (2) वस्तुनिष्ठता की कमी पाई जाती है।
- (3) अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय व वैध होते हैं।
- (4) सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

❁ गुणात्मक परीक्षण :-

1. क्रम निर्धारण मापनी (Rating scale) :-

- इसमें विषय क्षे० में उपस्थित गुणों की गहनता व आवृत्ति को मापने का प्रयास किया जाता है।
- क्रम निर्धारण मापनी में बालक के सामने प्रश्नों की ~~सस्त~~ श्रृंखला प्रस्तुत कि जाती है। जिनके 5 या 7 विकल्प होते हैं।

EX:- आपको डरावनी फिल्म दिखाई जाए तो आपको डर लगता है।

(A) सर्वदा
(b) प्राय:
(c) कभी – कभी
(d) बहुत कम
(E) कभी नहीं

२. प्रश्नावली :-

- मुल्यांकन में प्रश्नावली की महत्वपुर्ण भूमिका है।
- इसमें, प्रश्नों की सूची तैयार कि जाती है
- इसमें प्रश्नो के दो (२) विकल्प सत्य / असत्य अथवा तीन विकल्प (हॉ/ नही, कभी-कभी) होते हैं,

प्रश्नावली के प्रकार :-
1. बंद प्रश्नावली
२. खुली प्रश्नावली
3. चित्रित प्रश्नावली
4. मिश्रित प्रश्नावली

Scanned with OKEN Scanner

3. साक्षात्कार :-

- यह अमेरिका की देन है।
- यह बातचीत का रूप होता है।
- यह 2 प्रकार का होता है।

(i) औपचारिक साक्षात्कार
↓
पूर्व निर्धारित

(ii) अनौपचारिक साक्षात्कार
↓
यह पूर्व निर्धारित नही होता है।

4. प्रेक्षण / अवलोकन :-

- प्राकृतिक स्थिति में एक विद्यार्थी का कक्षा में व कक्षा के बाहर व्यवहार के बारे में सूचनाओं का एकत्रीकरण अवलोकन है।

(5) जाँच सूची :-

- जाँच सूची का प्रयोग विद्यार्थी की रुचि व अभिवृत्ति आदि भावात्मक पक्ष की जाँच करने के लिए किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

6. **संचयी अभिलेख :-**

- यह विद्यार्थियों के निर्देशन के लिए आवश्यक सूचनाएँ लिखने फाइल बनाने और उसे प्रयोग करने की विधि है।

- यह प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक संवेगात्मक विकास की संचित व्यक्तिगत तालिका है।

निदानात्मक परीक्षण (Diagnostic test) :-

- उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से बालकों को बौद्धिक आधार पर अलग-2 कर दिया जाता है।

- प्रत्येक कक्षा मे प्रतिभाशाली, औसत व निम्न श्रेणी के बालकों की पहचान करके निम्न श्रेणी के बालकों के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया जाता है।

- जब अध्यापकों द्वारा यह पता लगा लिया जाता है कि बालकों को अधिगम करते समय परेशानी आ रही है तो उस परेशानी के कारणों को खोजना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है।

- उपलब्धि परीक्षण निदानात्मक परीक्षण के लिए आधार का कार्य करता है, और निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार का कार्य करता है।

Scanned with OKEN Scanner

☆ निदानात्मक परीक्षण का महत्व :-

1. बालको का निर्देशन / मार्गदर्शन व शिक्षण के लिए उपयोगी।

2. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक।

3. त्रुटियों के वास्तविक कारणों को खोजने में सहायक।

4. उपचारात्मक शिक्षण को आधार प्रदान करने में सहायक।

5. किसी विशेष क्षेत्र में बालकों की कमजोरियों का पता लगाने में सहायक।

6. बालकों की रुचियों व योग्यताओं व क्षमताओं के आधार पर विषय वस्तुओं का चयन करने में सहायक।

☆ उपचारात्मक शिक्षण (Remedial teaching) :-

- जब निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है तो बालकों की कमजोरियों का समाधान होता है।

- जब निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से बालक की कमजोरियों का पता लगा लिया जाता है तो उन

Scanned with OKEN Scanner

कमजोरियों को दूर करने के लिए शिक्षक के द्वारा एक विशेष शिक्षण कराया जाता है। जो सामान्य शिक्षण से भिन्न होता है। उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है।

- उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होता है।

उपचारात्मक शिक्षण के क्षे० :-

(i) वाचन
(ii) लेखन
(3) उच्चारण
(4) भाषा व्याकरण
(5) अंक गणित

उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार :-

(i) अनुवर्ग शिक्षण :-

- शिक्षण के इस तरीके में बालकों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। प्रत्येक समूह में बालकों को समस्या दी जाती है। तथा बालकों से उस समस्या का समाधान प्राप्त किया जाता है।

(2) स्वामित्व शिक्षण :-

- शिक्षण के इस तरीके में

विषय वस्तु को छोटी इकाईयों में बाँट दिया जाता है।

- बालक प्रत्येक इकाई का अध्ययन करके सम्पूर्ण विषय वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करलेता है।

- प्रत्येक इकाई मे बालक का उपलब्धि स्तर 80-85% हो जाता है।

-

शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन :-

प्रवर्तक ⇒ नोर्मन व क्राउडर (1960)

- यह निदान व उपचार कि महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि मे बालक की समस्या के कारण को जानकर उसका समाधान तुरंत किया जाता है।

समायोजन विधियों का प्रयोग :-

- भावनात्मक / संवेगात्मक व अभिप्रेरणात्मक विधियों का प्रयोग करके समाधान किया जाता है

Scanned with OKEN Scanner

RTE Act - 2009

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009

- भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के लिए सर्वप्रथम गोपालकृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को गोखले बिल में माँग की थी।

- मूल संविधान में शिक्षा को राज्य सूची के विषयों में सम्मिलित किया गया था।

- 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। समवर्ती सूची के संबंधी केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बने कानूनों में मतांतर होने पर केन्द्र सरकार के प्रावधान को वरियता मिलेगी।

- 86वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 April 2010 से सम्पूर्ण भारत में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है।

- भारत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का 135वाँ देश है।

- 20 जुलाई 2009 को RTE बिल को राज्यसभा द्वारा मंजुरी प्रदान की गई।

- 4 August 2009 को RTE बिल को लोकसभा में मंजुरी प्रदान कि गई।

Scanned with OKEN Scanner

- 26 अगस्त, 2009 को तात्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा RTE बिल को मंजूरी प्रदान की गई

- 1 April 10 को निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 जम्मु - कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।

Note:-

जम्मु कश्मीर में 2019 मे RTE act 2009 लागू किया। जम्मु कश्मीर से धारा 35A और धारा 370 के हटते ही RTE Act 2009 सम्पूर्ण देश में प्रभावी हो गया।

- राज० राज्य के संदर्भ में 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधान सभा द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया जो 1 April 2011 से " राज० नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011" के नाम से लागु किया गया।

86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002

मुल अधिकार	नीति निर्देशक तत्व	मुल कर्तव्य
अनु० 21 (क) भाग-2	अनु० 45	अनु० 51 (क)
- 6-14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का मुल अधिकार दिया गया	(0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए सुरक्षा का अधिकार)	

Scanned with OKEN Scanner

- मूल कर्तव्य के अनु० 51 (क) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि माता - पिता या संरक्षक 6-14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे

☆ RTE Act 2009 की संरचना

- ☆ कुल अध्याय ⇒ 7
- ☆ कुल धाराएँ ⇒ 39 (38+1)
- ☆ अनुसूची ⇒ 1
- ☆ सबसे बड़ा अध्याय ⇒ 4
- ☆ धारा ⇒ (12-28)

☆

क्र. सं.	अध्याय का नाम	धाराएँ
1.	प्रारम्भिक धाराएँ	धारा 1 व धारा 2
2.	निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार	धारा 3 से 5 तक
3.	समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता - पिता के कर्तव्य	धारा 6 से 11 तक
4.	विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व	धारा 12 से 28 तक
5.	प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना	धारा 29 एवं 30
6.	बालकों के अधिकार का संरक्षण	धारा 31 से 34 तक
7.	प्रकीर्ण (अन्य मुख्य बातें	धारा 35 से 39 तक

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय - 1 प्रारम्भिक

धारा - 1 (संक्षिप्त नाम / विस्तार , प्रारम्भ)

1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है।

1) इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में होगा।

Note :-

1) भारतीय संविधान के अनु० 370 और धारा 35(A) जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद अब RTE act 2009 सम्पूर्ण देश मे लागू होगा

1) RTE act मदरसो, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में लागू न होगा।

धारा - 2 (परिभाषाएँ (शब्दावली))

(i) समुचित सरकार ⟹ केन्द्र सरकार व राज्य सरकार

(2) बालक ⟹ 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बालक या बालिका

(3) अलाभान्वित (असुविधाग्रस्त) समूह का बालक :- सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक

④ दुर्बल वर्ग का बालक :

- समुचित सरकार द्वारा घोषित आय की न्यूनतम तम सीमा से कम आय वाले माता पिता, अभिभावक व संरक्षक के बच्चे

Note :- राज० में 2.50 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार (18 May 2020)

⑤ प्रारम्भिक शिक्षा ⇒ 1 से 8 वीं कक्षा तक शिक्षा

⑥ अनुवीक्षण प्रक्रिया ⇒ बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए चयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया

अध्याय – 2 (निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार)

धारा – 3 ≠ निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

- प्रत्येक 6-14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

धारा – 4 ≠ आयु के अनुसार प्रवेश

- अनामांकित व स्कूल बीच में छोड़ चुके (Drop Out) बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा

• ऐसे बालकों को अन्य बालकों के समान रहने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

• 14 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

धारा - 5   अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरण का अधिकार

• प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा।

अध्याय - 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी वं माता पिता के कर्तव्य

धारा - 6   7   समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य

• इस अधिनियम के प्रारम्भ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर सरकार द्वारा ऐसे स्थान पर स्कूल स्थापित किये जायेंगे। जहाँ बच्चों के लिए आस-पास कोई स्कूल नहीं है।

Note: • प्रत्येक 1 K.M पर प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- प्रत्येक 2 K.m पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा

कक्षा 10 = 5 K.m
कक्षा 12 =

धारा - 7 → वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना

- केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा

Ex:- वित्तीय अनुपात = केन्द्र सरकार (60%) व राज्य सरकार (40%)

- केन्द्र सरकार इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक धन राशि का और बार - बार होने वाले खर्चों का आकलन करेगी।

केन्द्र सरकार

- इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप रेखा (NCF) केन्द्र सरकार तैयार करेगी।

- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी।

Scanned with OKEN Scanner

धारा - 8 ⇒ समुचित सरकार के कर्तव्य

- 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाना।
- धारा - 6 मे यथानिर्दिष्ट आसपास मे विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- धारा - 4 मे विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना
- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए समय - समय पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम तय करना सुनिश्चित करना।

धारा - 9 ⇒ स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

- स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य विद्यालय व्यवस्था, पर्यवेक्षण, नियंत्रण समस्त सुविधा की व्यवस्था करना।

Note: धारा (9) में समुचित सरकार व धारा 9(1) में स्थानीय प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

धारा - 10 ≠ माता-पिता व संरक्षक के कर्तव्य

- प्रत्येक माता - पिता व अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा दिलाएँ

धारा 11 ≠ समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना

- समुचित सरकार का यह दायित्व है कि 3 वर्ष से ऊपर और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु विद्यालय पूर्व शिक्षा व देखरेख आंगनबाड़ी में उपलब्ध करवाना।

अध्याय 4 (विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

धारा - 12 ≠ निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय उत्तरदायित्व की सीमा

- समुचित सरकार द्वारा स्थापित या संचालित विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जायेगी,
- निजी विद्यालय द्वारा पहली कक्षा में कुल बच्चों के न्यूनतम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध

Scanned with OKEN Scanner

करवाई जायेगी।

- निजी स्कूल को कमजोर या पिछड़े वर्ग के न्यूनतम 25% बच्चों को प्रवेश देने के बदले सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जायेगी

धारा – 13 ⇒ प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना।

- कोई भी स्कूल बालक को प्रवेश देते समय किसी प्रकार की फीस नहीं लेगा। और न ही प्रवेश देते समय कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जायेगी

उल्लंघन करने पर ⇒

(1) प्रवेश के समय फीस ली जाती है तो प्रवेश शुल्क से 10 गुना तक का जुर्माना।

(2) यदि प्रवेश के समय परीक्षा ली जाती है तो पहली बार 25000 रुपये का जुर्माना और आगे भी परीक्षा ली जाती है तो प्रत्येक बार 50,000 रुपये का जुर्माना

धारा – 14 ⇒ प्रवेश के लिए आयु का सबूत

- प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रमाणपत्र या अन्य कोई विहित दस्तावेज आयु का आधार होगा।

- किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता।

धारा - 15 ≠ प्रवेश से इंकार न किया जाना

- बालक को शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में या उस अवधि के दौरान प्रवेश दिया जायेगा जो अवधि सरकार के द्वारा तय की गई है। (30 September)

- बालक को तय अवधि के पश्चात् प्रवेश दिया जा सकता है।

धारा - 16 ≠ रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध

- किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा (फेल नहीं किया जायेगा)

Note :- No Detention पॉलिसी समाप्त (2019)

धारा - 17 ≠ बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीडन का प्रतिषेध

- किसी बालक को शारीरिक व मानसिक उत्पीडन नहीं किया जायेगा।

- इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

धारा -18 ≠ मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना

- मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जायेगा।

- यदि कोई विद्यालय इसका उल्लंघन करता है तो 100000 रु. का जुर्माना लगेगा।

- यदि कोई विद्यालय निरन्तर उल्लंघन करता हो, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

धारा -19 ≠ विद्यालय के मान एवं मानक

- किसी भी विद्यालय का संचालन मान व मानक के बिना नहीं किया जायेगा।

- मान्यता समाप्त हो जाने के बाद भी यदि कोई विद्यालय कार्य जारी रखता है तो उस पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना होगा। और उसके पश्चात भी कार्य जारी रखने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना देय होगा।

धारा -20 ≠ अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति

- केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी मानक में परिवर्तन व लोप कर सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

धारा- २१ ≠ विद्यालय प्रबंध समिति (SMC)

- इस धारा में यह प्रावधान किया गया है। कि प्रत्येक विद्यालय का प्रबंधन व नियंत्रण करने के लिए स्थानीय अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) का गठन किया जायेगा।

धारा -२२ ≠ विद्यालय विकास योजना

(i) धारा २१ की उपधारा १ के तहत गठित विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय के लिए विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(ii) धारा २२ की उपधारा (i) के तहत तैयार की गई योजना सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और अनुदान वितरण का आधार बनेगी।

धारा - २३ ≠ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हतायें और सेवा के निर्बंधन और शर्तें

- कोई भी व्यक्ति जिसके पास केन्द्र सरकार द्वारा घोषित शिक्षा अधिकारी द्वारा तय की गई योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा।

- परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने कि तिथी तक न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं। ५ वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करलें

Note:

- RTE act संसोधन २०१७ के अंतर्गत यह अवधि ५ वर्ष और बढ़कर ३१ मार्च २०१९ कर दी गई है।

Note:

- केन्द्र सरकार ने इस धारा के अधीन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को प्राधिकारी संस्था बनाया है।

धारा - २४ ≠ शिक्षकों के कर्तव्यों व शिकायतों को दूर करना

- धारा २३ (i) के अधिन नियुक्त शिक्षक कर्तव्यों का पालन करेंगे
- धारा २४ (i) में शिक्षक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कि जायेगी।

धारा - २५ ≠ छात्र शिक्षक अनुपात

- इस अधिनियम के पारित होने के 6 माह के भीतर अनुसूची में तय किया गया छात्र-शिक्षक अनुपात बनाया जाएगा।

Note: ≠ २०१२ मे इस अधिनियम में संशोधन द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात तय करने कि न्यूनतम सीमा ३ वर्ष कर दी गई है।

अनुपात

कक्षा 1 से 5

छात्र	शिक्षक
0 - 30 ⇒	1
31 - 60 ⇒	2
61 - 90 ⇒	3
91 - 120 ⇒	4

- 121 - 150 ⇒ 5

कक्षा 6 से 8

छात्र	शिक्षक
1 - 35 ⇒	01
35 - 70 ⇒	02
71 - 100 ⇒	03 कार्य देय

100 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक

1 - 5

- 150 से अधिक होने पर ≠ (5+1) (प्रधानाध्यापक का पद)
- २००से अधिक = 40 : 1
- शिक्षण घण्टे = 800 घण्टे
- शिक्षण दिवस = २००दिवस

6 - 8

शिक्षण के घण्टे = 1000

शिक्षण दिवस = २२०

शिक्षण के प्रति सप्ताह शिक्षण के 45 घण्टे निर्धारित (जिसमें तैयारी के घंटे सामिल है)

धारा - २6 ≠ शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना

- किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे।

धारा - २7 ≠ गैर शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किये जाने का प्रतिषेध

- किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव कार्यों व आपदा कार्य के अलावा किसी भी कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

धारा - २8 ≠ शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूसन का प्रतिषेध

- कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूसन नहीं करेगा।

अध्याय - 5 प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसे पूरा किया जाना

Scanned with OKEN Scanner

धारा - २९ ≠ पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया

- केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा २९(1) के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को शैक्षिक प्राधिकरण घोषित किया गया।

- राज्य में ऐसे शैक्षिक प्राधिकारी संस्था का नाम है R.SCERT

धारा - 30 ≠ शिक्षा व समापन प्रक्रिया

- प्रारम्भिक शिक्षा यानि कक्षा 8 पूरी करने तक किसी बालक को बोर्ड परिक्षा में बैठना आवश्यक नहीं होगा।

Note: ⇒ राज्य में 5 वीं व 8 वीं बोर्ड लागू कर दिया है।

- बच्चों को कक्षा 8 वीं की शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा जो कि सरकार द्वारा तय कियाजायेगा

अध्याय - 6 बालको के अधिकार का संरक्षण

धारा 31 ≠ बालक के शिक्षा के अधिकार को मोनीटर करना

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग २००५ की धारा '3' में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व धारा 17 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नि: शुल्क व बाल अधिकारो के परिवादों को जाँच करेगा।

- जहां किसी राज्य मे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है। वहाँ पर सरकार प्राधिकरण का गठन करेंगी।

धारा - 32 ≠ शिकायतों का निपटारा

- धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के तहत बाल अधिकारों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो स्थानीय प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करवा सकेगा।

- स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देकर शिकायत का 3 माह के अंदर निपटारा करेगा।

धारा - 33 ≠ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद

- केन्द्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी। इस परिषद में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं।

- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परामर्श देना

धारा - 34 ≠ राज्य सलाहकार परिषद का गठन

- राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी इसमें 15 सदस्य होंगे

अध्याय - 7 प्रकीर्ण (अन्य मुख्य बातें)

धारा - 35 ≠ निर्देश जारी करने की शक्ति

- समुचित सरकार (केन्द्र + राज्य सरकार) मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी।

धारा-36 # अभियोजन की पूर्व में मंजूरी

- धारा '13', धारा '18', धारा '19' के अधीन कार्यवाही तब तक नहीं कि जा सकती है जब तक कि सरकार द्वारा तय सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति न कि जाए।

धारा - 37 # सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

- इस कानून के प्रावधान को लागू करने की सदच्छा के परिप्रेक्ष्य में लिए गए किसी निर्णय हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग विद्यालय प्रबंध समिति, व अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय मे कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता।

धारा -38 # समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति

- समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है।
- राज्य सरकार अपनी शैक्षिक परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर नियमो मे परिवर्तन कर सकती है।

धारा -39 # कठिनाइयों को दूर करने की केन्द्र सरकार की शक्ति

- 2012 में इस अधिनियम में संशोधन द्वारा धारा '39' नामक एक प्रावधान जोड़ा गया जिसमें कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

Some golden facts :-

- 1 April 2010 को RTE act लागू होते समय
- राष्ट्रपति ⇒ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
- प्रधानमंत्री ⇒ मनमोहन सिंह
- MHRD मंत्री ⇒ कपिल सिब्बल
- RTE act 2009 में दिव्यांग बालकों के लिए निःशुल्क प्रवेश – (6 से 18 वर्ष)
- राज० सरकार ने बजट 2021 – 2022 में यह प्रावधान किया है कि RTE act के अंतर्गत निजिविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक पढ़ाई निरंतर जारी रहे इसके लिए महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्भरण किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

NEP २०२० (राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०)

National education Policy २०२०

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९६८ ⇒ इन्दिरा गाँधी
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ ⇒ राजीव गाँधी
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० ⇒ नरेन्द्र मोदी (नवीनतम)

- केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (NEP २०२०) को मंजूरी दे दी है।

- नई शिक्षा नीति ३४ वर्ष बाद पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ को प्रतिस्थापित करेगी।

- यह शिक्षा नीति चार भागों व २७ अध्यायों में विभक्त है

- यह शिक्षा नीति सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

- जनवरी २०१५ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHR ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की।

- मई २०१६ में T.S.R सुब्रह्मण्यम को इसका अध्यक्ष बनाया गया

- जून २०१७ मे पद्म विभूषण प्राप्त डॉ. कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्यक्ष बनाया गया। जिन्होने इस शिक्षा नीति को देश के लिए समर्पित किया।

Scanned with OKEN Scanner

के० कस्तूरीरंगन समिति

अध्यक्ष ⇒ इसरो अध्यक्ष पद्म विभूषण प्राप्त . कस्तूरीरंगन

रिपोर्ट ⇒ 31 मई 2019 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मंजूरी ⇒ 29 जुलाई 2020 को केन्द्रिय मंत्रीमण्डल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio – GER) को स्कूली शिक्षा में 100% करने का लक्ष्य रखा गया है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

- स्कूली शिक्षा में सुधार ⇒ 5+3+3+4

नया Format	चरण	आयु	कक्षा का स्तर
5	फाउन्डेशन स्टेज - Ist	3 से 6 वर्ष	आंगनवाड़ी Pre School
	फाउन्डेशन स्टेज IInd	6 से 8 वर्ष	कक्षा 1 व 2
3	प्राथमिक स्तर प्रीपेरेटरी स्टेज	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	मध्यम स्तर (मिडिल)	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	अंतिम स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

Scanned with OKEN Scanner

❖ शिक्षा प्रणाली में सुधार :-

- ❖ उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन सम्पन्न एवं बहु विषयक संस्थानों में रुपान्तरित किया जायेगा

- ❖ पहले सरकारी स्कूलों में भी स्कूलिंग नहीं होती थी। बच्चा 6 वर्ष की आयु में पढ़ना प्रारम्भ करता था। लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ECCE (Early Childhood care and education) द्वारा प्रारम्भ यह शिक्षा आंगनबाड़ी द्वारा दी जायेगी।

- ❖ पहले बालक जहाँ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे उन्हें अब कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के मार्गदर्शक सिद्धांत ❖

(1) प्रत्येक बालक में विशिष्ट क्षमताएँ होती हैं इसलिए इन विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकार करना, पहचान करना व विकास के लिए कार्य करना होगा।

(2) स्कूली शिक्षा अलग-2 संकाय में बटी न हो बल्कि एकीकृत हो।

(3) मानवीय व संवैधानिक मूल्यों का विकास करना

(4) सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग बनाना।

(5) पास होने के बजाय बालक अवधारणा, तर्क, सृजनात्मकता के लिए पढ़ाई करे।

Scanned with OKEN Scanner

(6) शिक्षक को पूरी शिक्षा की धुरी माना जायेगा।

शिक्षा मंत्रालय :-

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया।

* शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री रमेश पोखरियल निशंक को बनाया गया।

उच्च शिक्षा :-

(i) बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी :-

- NEP 1986 में 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री न मिलने पर इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन रहेगा।

* 1 वर्ष की पढ़ाई पर ⇒ सर्टिफिकेट
* 2 वर्ष की पढ़ाई पर ⇒ डिप्लोमा
* 3 या 4 वर्ष की पढ़ाई पर ⇒ डिग्री

(ii) एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)

- इसमें विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंको व क्रेडिटों को digital रूप में सुरक्षित रखा जायेगा तथा अलग से

Scanned with OKEN Scanner

छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाणपत्र दिया जायेगा।

- जो छात्र हायर एजूकेशन में नहीं जाना चाहते है उनके ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष की होगी। शोध अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए डिग्री 4 वर्ष की होगी

(iii) कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT)

- उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए common Exam होगा जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (NTA) आयोजित करेगा।

- NEP 2020 के अन्तर्गत Higher Education से सम्बंधित (एम. फिल.) की डिग्री को समाप्त किया जा रहा है।

- अनुसंधान से संबंधित विश्व विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

1. 2030 तक शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.ed डिग्री होगी।

2. डिजीटल डिवाइड को पढ़ने में मदद के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से सम्बंधित online शैक्षिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०

NIPUN BHARAT (निपुण भारत)

NIPUN ⇒ National Initiative for Proficiency in reading and Understanding and Numeracy Bharat Programme.

- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर कार्य करना अति आवश्यक है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अनुसार सभी बालकों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है।

प्रारम्भ ⇒ 5 July २०२१
फोकस अवधि ⇒ २०२६ - २०२७

निपुण भारत के उद्देश्य :

- ३ - ९ वर्ष के बालकों को Learning जरूरतों को पूरा करना।
- शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना।

- खिलौना आधारित व अनुभवात्मक शिक्षा जैसे नवीन शिक्षण गतिविधियों को शामिल करना।

निपुण भारत के तहत संचालित कार्यक्रम :-

(i) बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान (F.L.N) :-
↳ Foundational Literacy and Numeracy

Scanned with OKEN Scanner

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० सभी बालकों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की प्राप्ति को प्राथमिकता देती है।

- FLN को मोटे तौर पर एक बच्चे की बुनियादी पाठ पढ़ने और आधारभूत गणित के सवालों को हल करने की उसकी क्षमता के रूप में संकलित किया जाता है।

F.L.N के उद्देश्य:-

- २०२५ तक प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करना

(2) स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम (विद्या प्रवेश):-

- स्कूल रेडीनेस भारत सरकार की एक पहल निपुण भारत की F.L.N का मुख्य घटक है।

- यह कार्यक्रम शिक्षकों को विद्यालय शिक्षा में बच्चों के प्रवेश को सुगम, निडर व आनन्ददायक बनाने में मदद करता है।

- नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए खेल आधारित अच्छा वातावरण प्रदान किया जाता है।

स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के उद्देश्य:-

- नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करना।

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के महत्वपूर्ण तथ्य :-

- नई शिक्षा नीति २०२० के अन्तर्गत २०२५ तक वोकेशनल पढ़ाई (व्यावसायिक शिक्षा) करने वालों का प्रतिशत ५०% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जो अभी तक ५% से भी कम है,

- कक्षा ६ के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जायेगी

EX:- → बागवानी करना
→ मिट्टी के बर्तन बनाना
→ बिजली व नल आदि का काम।

- नई शिक्षा नीति २०२० में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जायेगा। कक्षा ५ तक अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटाकर मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- नई शिक्षा नीति मे (२०२०) अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाये भी सिखाई जायेंगी (कक्षा ९ से)

- नई शिक्षा नीति २०२० के तहत भाषा ज्ञान वाले शिक्षको की भर्ती की जायेगी।

- नई शिक्षा नीति २०२० किसी एक Stream (संकाय) के चुनाव की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, छात्र अपने कोलेज व स्कूल लेवल पर अपने पसंद की विषय का चुनाव कर सकेंगे। अब स्ट्रीम (संकाय) के चुनाव की बाध्यता समाप्त कर दी गई है,

Scanned with OKEN Scanner

(6) नई शिक्षा नीति में छात्रों को पढ़ाई के साथ-2 कौशल ज्ञान भी प्रदान किया जायेगा उन्हें शुरुआती कक्षाओं में संगीत, नृत्य, योगा, मूर्तिकला आदि कौशल में पारंगत किया जायेगा।

(7) मल्टीपल एग्जिट व मल्टीपल एन्ट्री की सुविधा:

1) नई शिक्षा नीति २०२० के तहत किसी छात्र को किसी कारण वश ब्रेक लेना पड़ता है तो वह बाद में भी पढ़ाई कर सकता है इसके लिए छात्र को पुन: 0 से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी।

(8) भारतीय उच्च शिक्षा आयोग सम्पूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल नियामक के रुप में कार्य करेगा इसके तहत चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जायेगा।

(9) नई शिक्षा नीति २०२० विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को अन्य बच्चों के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम तंत्र विकसित करेगा।

(10) भारत सरकार सभी लड़कियों और सभी ट्रांसजेण्डर छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण व न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा मे देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेण्डर समावेशी निधि का गठन करेगी

(11) पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था २०३० तक की जायेगी। इसके बाल वाटिका, आंगनवाड़ी व नर्सरी स्कूल स्थापित किये जायेंगे।

(12) कक्षा 5 तक के बालकों को स्थानीय भाषा / मातृ भाषा में पढ़ाया जायेगा। स्थानीय / मातृ भाषा को कक्षा 8वीं तक पढ़ाया जा सकता है।

(13) नई शिक्षा नीति २०२० के अंतर्गत नवीन पद्धति पर आधारित NCF 2022 जारी किया जायेगा।

(14) राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख (PA RAKH) नामक नये राष्ट्रीय आकलन केन्द्र की स्थापना की गई है।

(15) नई शिक्षा नीति २०२० में छात्र शिक्षक अनुपात ३०:१ रहेगा परन्तु विशेष शिक्षा क्षेत्र व सामा० आर्थिक वंचित वर्ग समूह में २५:१ रहेगा।

(16) सतत व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिवर्ष लेना अनिवार्य होगा।

(17) वर्ष २०३० तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय एकीकृत B.एड डिग्री होगी।

(18) वर्ष २०२५ तक पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है।

(19) २०३० में शिक्षा नीति की व्यापक समीक्षा की जायेगी।

(20) २०३० तक 100% युवा साक्षरता दर एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(21) E-Content के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।

(22) NEP २०२० में ५ बातों पर बल दिया गया है।

=> (i) शिक्षा की पहुँच
=> (ii) समानता
=> (iii) गुणवत्ता
=> (4) वहनीय
=> (5) उत्तरदायित्व

(23) NEP २०२० का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्तिशाली बनाना है।

(24) 360° Assessment ≠ छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360° Assessment के आधार पर उसके व्यवहार व अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जायेगा।

(25) वर्ष २०३० तक स्कूली शिक्षा में 100% GER (Gross Enrollment Ratio) के साथ-२ पूर्व विद्यालयी शिक्षा से 12वीं तक सार्वभौमीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(26) नई शिक्षा नीति २०२० के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (GER) २६.३% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

(27) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) वर्ष २०२२ तक

Scanned with OKEN Scanner

" शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक " (National Professional standred for teacher) (NPST) का विकास किया जायेगा।

(२४) 10 वीं व 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में बदलाव कर अब वर्ष में २ बार (सेमेस्टर प्रणाली) द्वारा objective व subjective Format में परीक्षा आयोजित किया के